



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2022/416

—:आदेश:—

दिनांक 28-08-2024

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का मिरगेश्वर तथा तहसीलदार बाली की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करनवा तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 22 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	करनवा	22	रामचन्द्र पुत्र माना	रामचन्द्र उर्फ रामलाल पुत्र माना

3

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर, बाली

दिनांक 28-08-2024

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 1092-1094
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का मिरगेश्वर को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री रामलाल पुत्र मानाराम सुथार निवासी करनवा तह. बाली को सूचनार्थ।



3

पीठासीन अधिकारी
सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर, बाली